HINDUSTAN TIMES, Gurgaon, 31.1.2025
Page No. 4, Size:(11.03)cms X (5.52)cms.

NHRC takes note of '474 homeless deaths in 56 days', asks for report

Vrinda Tulsian
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of a media report, stating that 474 homeless people in Delhi died this winter season over a 56-day period.

NHRC issued notices to the Delhi chief secretary and the police commissioner, "calling for a detailed report in the matter within one week", and seeking responses regarding measures taken to prevent further deaths.

The commission did not specify the media report it was referring to.

NHRC cited data from the NGO Centre for Holistic Development (CHD), which claimed that 56 people died between December 15, 2024 and January 10, 2025 due to the lack of "essential protective measures such as warm clothing, blankets, and adequate shelters".

About 80% of the unidentified dead bodies in Delhi are believed to be homeless individuals... The contents of the news report, if true, raise a serious violation of human rights," the commission said.

HINDUSTAN TIMES, Delhi, 31.1.2025
Page No. 5, Size:(10.99)cms X (5.52)cms.

NHRC takes note of '474 homeless deaths in 56 days', asks for report

Vrinda Tulsian
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of a media report, stating that 474 homeless people in Delhi died this winter season over a 56-day period.

NHRC issued notices to the Delhi chief secretary and the police commissioner, "calling for a detailed report in the matter within one week", and seeking responses regarding measures taken to prevent further deaths.

The commission did not specify the media report it was referring to.

NHRC cited data from the NGO Centre for Holistic Development (CHD), which claimed that 56 people died between December 15, 2024 and January 10, 2025 due to the lack of "essential protective measures such as warm clothing, blankets, and adequate shelters".

About 80% of the unidentified dead bodies in Delhi are believed to be homeless individuals... The contents of the news report, if true, raise a serious violation of human rights," the commission said.

DAINIK JAGRAN, Rastriya Sanskaran, 31.1.2025
Page No. 02, Size:(9.34)cms X (8.32)cms.

इस सर्दी में सड़कों पर 474 बेघरों ने तोड़ा दम, एनएचआरसी ने लिया स्वत : संज्ञान

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

दिसंबर से मध्य जनवरी के बीच हाड़ कपाने वाली सर्दी में दिल्ली की सड़कों और फुटपाथों पर 474 बेघरों ने दम तोड़ दिया। इस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली के मुख्य सचिव व पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

एनएचआरसी के अनुसार, बेघर लोगों के बीच काम करने वाले गैर सरकारी संगठन सेंटर फार होलिस्टिक डेवलपमेंट (सीएचडी) की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में इस सर्दी में 56 दिनों के भीतर लगभग 474 लोगों की जान चली गई। गर्म कपड़े, कंबल और पर्याप्त आश्रय जैसे आवश्यक सुरक्षात्मक उपायों की अनुपलब्धता के चलते ये मौतें पिछले वर्ष 15 दिसंबर से इस वर्ष 10 जनवरी के बीच हुई हैं। सीएचडी के अनुसार, सड़कों पर दम तोड़ने वाले 474 लोगों में 80 प्रतिशत शव अज्ञात बेघरों के थे। सीएचडी के उक्त दावे पर आधारित

दिल्ली के मुख्य सचिव व पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर सप्ताहभर के भीतर मांगा जवाब

चांदनी चौक में फुटपाथ पर सोते बेघर। जागरण

रिपोर्ट दैनिक जागरण में 12 जनवरी को प्रकाशित हुई थी। आयोग ने जारी बयान में कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कई आश्रय गृह समुचित मांग को पूरा करने में असमर्थ हैं और जो उपलब्ध हैं, उनमें से अधिकतर में आवश्यक सुविधाओं का अभाव है, जिससे व्यक्ति कड़ाके की ठंड में रहने को मजबूर हो जाते हैं। सड़कों पर रहने वाले लोगों के बारे में यह भी बात सामने आई है कि वे उचित चिकित्सकीय व रखरखाव के अभाव में श्वसन संक्रमण, त्वचा संबंधी बीमारियों और बिगड़ते मानसिक स्वास्थ्य सहित कई स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

सर्दी में सर्वाधिक मौतें रेलवे स्टेशन परिसरों में दर्ज की गई थीं। इनमें आनन्द विहार, सब्जी मंडी, हजरत निजामुद्दीन, सराय रोहिला, दिल्ली कैंट समेत अन्य स्टेशन हैं, जहां 100 मौतें दर्ज हुई थीं। इसके बाद, अधिक मौतें उत्तरी दिल्ली जिला पुलिस क्षेत्र में दर्ज थीं। सब्जी मंडी, कश्मीरी गेट, कोतवाली, लाहौरी गेट, सिविल लाइंस, बाड़ा हिंदूराव, सदर बाजार, तिमारपुर, सराय रोहिला, वजीराबाद, गुलाबी बाग समेत अन्य स्थानों में नवंबर से अब तक 83 मौतें हुई थीं। मध्य दिल्ली के दरियागंज, पहाड़गंज, नबी करीम, जामा मस्जिद, हौज काजी, राजेंद्र नगर, पटेल नगर, कमला मार्केट, करोलबाग समेत अन्य इलाकों में 54 बेघरों की मौतें सर्दी से दर्ज की गईं। सीएचडी के कार्यकारी निदेशक सुनील अलेडिया के अनुसार, बेघरों की मौतों के ये आंकड़े दिल्ली पुलिस नेटवर्क (जिप नेट) द्वारा संकलित हैं।

DAINIK JAGRAN, Delhi, 31.1.2025
Page No. 5, Size:(13.37)cms X (6.65)cms.

इस सर्दी सड़कों पर 474 बेघरों की मौत, एनएचआरसी ने लिया संज्ञान

- मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर सप्ताहभर के भीतर मांगा जवाब
- कंबल और पर्याप्त आश्रय जैसे आवश्यक सुरक्षात्मक उपायों की कम उपलब्धता से हुई मौतें

चांदनी चौक में फुटपाथ पर सोते बेघर ● जागरण आर्काइव

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: दिसंबर से मध्य जनवरी के बीच हाड़ कपाने वाली सर्दी में दिल्ली की सड़कों और फुटपाथों पर 474 बेघरों ने दम तोड़ दिया। इस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली के मुख्य सचिव व पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

एनएचआरसी के अनुसार, बेघर लोगों के बीच काम करने वाले गैर सरकारी संगठन सेंटर फार होलिस्टिक डेवलपमेंट (सीएचडी) की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में इस सर्दी में 56 दिनों के भीतर लगभग 474 लोगों की जान चली गई। गर्म कपड़े, कंबल और पर्याप्त आश्रय जैसे आवश्यक सुरक्षात्मक उपायों की अनुपलब्धता के चलते ये मौतें पिछले वर्ष 15 दिसंबर से इस वर्ष 10 जनवरी के बीच हुई हैं। सीएचडी के अनुसार, सड़कों पर दम तोड़ने वाले 474 लोगों में 80 प्रतिशत शव अज्ञात बेघरों के थे। सीएचडी के उक्त दावे पर आधारित रिपोर्ट दैनिक जागरण में 12 जनवरी को प्रकाशित हुई थी। आयोग ने जारी बयान में कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कई आश्रय गृह समुचित मांग को पूरा करने में असमर्थ हैं और जो उपलब्ध हैं, उनमें से अधिकतर में आवश्यक सुविधाओं का अभाव है, जिससे व्यक्ति कड़ाके की ठंड में रहने को मजबूर हो जाते हैं। सड़कों पर रहने वाले लोगों के बारे में यह भी बात सामने आई है कि वे उचित चिकित्सकीय व रखरखाव के अभाव में श्वसन संक्रमण, त्वचा संबंधी बीमारी व बिगड़ते मानसिक स्वास्थ्य सहित कई स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

सर्दी में सर्वाधिक मौतें रेलवे स्टेशन परिसरों में दर्ज की गई थीं। इनमें आनन्द विहार, सब्जी मंडी, हजरत निजामुद्दीन, सराय रोहिला, दिल्ली कैंट समेत अन्य स्टेशन हैं, जहां 100 मौतें दर्ज हुई थीं। इसके बाद, अधिक मौतें उत्तरी दिल्ली जिला पुलिस क्षेत्र में दर्ज थीं। सब्जी मंडी, कश्मीरी गेट, कोतवाली, लाहौरी गेट, सिविल लाइंस, बाड़ा हिंदूराव, सदर बाजार, तिमारपुर, सराय रोहिला, वजीराबाद, गुलाबी बाग समेत अन्य स्थानों में नवंबर से अब तक 83 मौतें हुई थीं। मध्य दिल्ली के दरियागंज, पहाड़गंज, नबी करीम, जामा मस्जिद, हौज काजी, राजेंद्र नगर, पटेल नगर, कमला मार्केट, करोलबाग समेत अन्य इलाकों में 54 बेघरों की मौतें सर्दी से दर्ज की गईं। सीएचडी के कार्यकारी निदेशक सुनील अलेडिया के अनुसार, बेघरों की मौतों के ये आंकड़े दिल्ली पुलिस नेटवर्क (जिप नेट) द्वारा संकलित है।

Human Rights Commissions are not to be ‘toothless tigers’: Delhi HC

https://www.thehindu.com/news/national/human-rights-commissions-are-not-to-be-toothless-tigers-delhi-hc/article69155456.ece

The case relates to an alleged fake encounter by the Special Cell of the Delhi Police that took place on the night of May 5, 2006

Updated - January 30, 2025 12:59 pm IST - New Delhi

Soibam Rocky SinghSoibam Rocky Singh

The Delhi High Court has observed that the purpose of the Human Rights Act and the reasons for its enactment would be nullified if the National Human Rights Commission (NHRC) is rendered powerless and held to be “mere recommendatory bodies”.

“Human Rights Commissions are not to be ‘toothless tigers’ but have to be ‘fierce defenders’ safeguarding the most basic right of humans i.e., the right to live without fear and to live with dignity,” a bench of Justice Prathiba M. Singh and Justice Amit Sharma remarked in its January 28 judgment.

The court said the recommendations of the Commission are “binding in nature”. The government, however, is not without remedy and can always seek judicial review of the recommendations, it added.

The court was hearing a petition filed by the parents of a man, who was killed in an alleged fake encounter by the Special Cell of the Delhi Police in 2006, seeking a CBI enquiry and enforcement of NHRC’s order granting compensation of ₹5 lakhs to the legal heirs of the deceased.

The case relates to an alleged fake encounter by the Special Cell of the Delhi Police that took place on the night of May 5, 2006, where five members of the Ayub/Aslam gang died and the 6th member is stated to have escaped into the darkness.

The police had said that the gang was involved in more than 70 cases of murder, attempt to murder, dacoity, robbery, rape etc. The name of the five members are Ayub, Sanjay, Shehzad/Babu, Aslam and Manoj.

Mr. Kiran Singh, father of Late Manoj, moved the court saying that his son used to run a provision store called, which is now being run by him. Mr Singh claimed that his son did not have prior criminal antecedents. He was made accused in two FIRs and in both these cases he was acquitted.

The deceased Manoj, was 31 years of age in the year 2006 and is now survived by his wife and two daughters as also his parents. Mr Singh stated that Manoj's wife had abandoned the family sometime in the year 2008 and his two daughters have been brought up by their paternal grandparents i.e., dada (Petitioner) and dadi.

The NHRC though initially directed a CBI inquiry into the matter, however, later on February 5, 2014, directed payment of compensation of ₹5 lakhs each to the next of kin of the deceased.

Mr. Singh argued that no CBI inquiry has been conducted till date and neither compensation has been given to the legal heirs of the deceased person, as directed by the NHRC.

The court said that an inquiry by CBI "is not warranted in the present case" but ordered that the compensation amount be paid to the legal heirs. It noted that the decision to give compensation has not been challenged by the Home Ministry "for all these years".

"Having held that the recommendations of the Human Rights Commission would be binding in nature, this Court is of the opinion that the compensation, as awarded, deserves to be paid," the court said.

NHRC Begins Online Internship to Train Students in Human Rights

https://apacnewsnetwork.com/2025/01/nhrc-begins-online-internship-to-train-students-in-human-rights/

By: Editorial Desk January 30, 2025 in Education, Governance, HR Reading Time: 2 mins read

New Delhi: The National Human Rights Commission (NHRC) has launched a two-week online internship program to educate undergraduate and postgraduate students on human rights laws and their application in India. The program, which started on January 27, has selected 80 students from various academic backgrounds across the country.

Focus on Human Rights Education

During the inaugural session, NHRC member Justice (Dr) Bidyut Ranjan Sarangi stressed the significance of human rights protection and India's legal framework supporting it. He urged students to engage actively and use their learning to support marginalized communities.

Devendra Kumar Nim, Joint Secretary at NHRC, provided an overview of the curriculum, which includes lectures and virtual tours of institutions like Tihar Jail. The internship also involves competitions and interactive sessions aimed at enhancing participants' understanding of human rights issues.

Practical Exposure Through Virtual Tours

The program integrates practical learning with theoretical discussions. Virtual visits to correctional institutions and case studies on human rights violations are part of the training, giving students a real-world perspective on human rights enforcement.

Lt Col Virender Singh, Director at NHRC, concluded the session by encouraging participants to apply their knowledge in addressing social injustices.

This internship is part of NHRC's efforts to create awareness and equip students with the skills needed to contribute to human rights advocacy in India. The internship also provides networking opportunities with experts in the field, allowing students to interact with legal professionals, policymakers, and human rights activists. NHRC aims to use this initiative to build a knowledge-driven approach toward human rights advocacy. Participants are expected to submit reports and assessments based on their learnings during the program.

NHRC demands report on 474 homeless deaths in Delhi during Winter

https://www.uniindia.com/nhrc-demands-report-on-474-homeless-deaths-in-delhi-during-winter/india/news/3379386.html

New Delhi, Jan 30 (UNI) Taking suo-motu cognisance of the reported death of 474 homeless persons within a span of 56 days during this winter season in Delhi, the National Human Rights Commission (NHRC) on Thursday issued notices to the Chief Secretary and the Delhi Police Commissioner calling for a detailed report in the matter within one week.

In a letter to the authorities, the NHRC mentioned, “A media report, citing the Centre for Holistic Development (CHD), an NGO working with the homeless, claims that about 474 persons have lost their lives within a span of 56 days during this winter season in Delhi.”

“Reportedly, these deaths occurred between December 15, 2024, and January 10, 2025, due to a lack of essential protective measures such as warm clothing, blankets, and adequate shelters. According to the NGO’s claims, about 80 percent of the unidentified dead bodies in Delhi are believed to be homeless individuals,” it added. The Commission observed that if the contents of the news report are true, they indicate a serious violation of human rights.

Consequently, it has issued notices to the Chief Secretary and the Commissioner of Police, Delhi. According to the media report, published on January 16, 2025, many shelters in the national capital are unable to meet the growing demand. Moreover, those that are available often lack essential facilities such as heating and hot water, leaving individuals exposed to the bitter cold.

The report also highlighted specific cases of people living on the streets, stating that they face numerous health challenges, including respiratory infections, flare-ups of skin ailments, and deteriorating mental health.

NHRC Takes Suo Motu Cognizance Of 474 Homeless Deaths In Delhi During Winter Season

https://www.freepressjournal.in/india/nhrc-takes-suo-motu-cognizance-of-474-homeless-deaths-in-delhi-during-winter-season

The Commission has observed that the contents of the news report, if true, raise a serious violation of human rights. Therefore, it has issued notices to the Chief Secretary and the Commissioner of Police, Delhi calling for a detailed report in the matter within one week.

FPJ News ServiceUpdated: Friday, January 31, 2025, 02:43 AM IST

The National Human Rights Commission (NHRC), India has taken suo motu cognisance of a media report that according to the Centre for Holistic Development (CHD), an NGO working with the homeless, about 474 persons have lost their lives within a span of 56 days during this winter season in Delhi.

Reportedly, these deaths have taken place between 15th December, 2024 to 10th January, 2025, due to the unavailability of essential protective measures such as warm clothing, blankets, and adequate shelters.

Let us know!
What type of content would you like to see from us this year?

— HubSpot (@HubSpot)

According to the reported claim of the NGO, about 80 percent of the unidentified dead bodies in Delhi are believed to be homeless individuals.

The Commission has observed that the contents of the news report, if true, raise a serious violation of human rights. Therefore, it has issued notices to the Chief Secretary and the Commissioner of Police, Delhi calling for a detailed report in the matter within one week.

According to the media report, carried on 16th January, 2025, many shelters in the National Capital are unable to meet the demand and those, that are available, often lack essential facilities like heating and hot water, leaving the individuals exposed to the bitter cold.

Citing a few specific examples of the people living on the streets, the media report has also stated that they are facing numerous health challenges including respiratory infections, skin ailments flair-ups and deteriorating mental health.

NAGALAND POST, Online, 31.1.2025
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

NHRC takes suo moto cognisance of reported death of 474 homeless people in 56 days in Delhi

https://nagalandtribune.in/nhrc-takes-suo-moto-cognisance-of-reported-death-of-474-homeless-people-in-56-days-in-delhi/

New Delhi BY NTN | Thursday, 30 January, 2025

The National Human Rights Commission (NHRC), India has taken suo motu cognisance of a media report that about 474 persons have Home » NHRC takes suo moto cognisance of reported death of 474 homeless people in 56 days in Delhi Nation/World lost their lives within a span of 56 days during this winter season in Delhi.

The media report, carried on 16th January 2025 had claimed that according to the Centre for Holistic Development (CHD), an NGO working with the homeless, these deaths have taken place between 15th December, 2024 to 10th January, 2025, due to the unavailability of essential protective measures such as warm clothing, blankets, and adequate shelters. Citing a few specific examples of the people living on the streets, the media report had also stated that they were facing numerous health challenges including respiratory infections, skin ailments flair-ups and deteriorating mental health. Additionally, it had reported that about 80 percent of the unidentified dead bodies in Delhi are believed to be homeless individuals

he NHRC stated that if the contents of the news report are true, they raise a serious violation of human rights. Therefore, it has issued notices to the Chief Secretary and the Commissioner of Police, Delhi calling for a detailed report in the matter within one week.

NHRC ने दिल्ली में सर्दी के दौरान 56 दिनों में 474 बेघर व्यक्तियों की कथित मृत्यु का स्वतः संज्ञान लिया

https://insamachar.com/nhrc-takes-suo-motu-cognizance-of-alleged-deaths-of-474-homeless-persons-in-56-days-during-winter-in-delhi/

Editor Posted on30 जनवरी 2025

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। बेघर लोगों के साथ काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट (सीएचडी) के अनुसार, दिल्ली में इस सर्दी में 56 दिनों के भीतर लगभग 474 लोगों की जान चली गई है। कथित तौर पर, ये मौतें 15 दिसंबर, 2024 से 10 जनवरी, 2025 के बीच गर्म कपड़े, कंबल और पर्याप्त आश्रय जैसे आवश्यक सुरक्षात्मक उपायों की अनुपलब्धता के कारण हुई हैं। एनजीओ के दावे के अनुसार, दिल्ली में लगभग 80 प्रतिशत शव अज्ञात बेघर व्यक्तियों के हैं।

आयोग ने पाया है कि अगर समाचार रिपोर्ट की सामग्री सच है, तो यह मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का मामला है। इसलिए, आयोग ने मुख्य सचिव और दिल्ली के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

16 जनवरी, 2025 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी कई आश्रय गृह मांग को पूरा करने में असमर्थ हैं और जो उपलब्ध हैं, उनमें अक्सर हीटिंग और गर्म पानी जैसी आवश्यक सुविधाओं का अभाव होता है, जिससे लोग कड़ाके की ठंड में रहने को मजबूर हो जाते हैं। सड़कों पर रहने वाले लोगों के कुछ विशिष्ट उदाहरणों का हवाला देते हुए, मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वे श्वसन संक्रमण, त्वचा संबंधी बीमारियों और बिगड़ते मानसिक स्वास्थ्य सहित कई स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

NHRC ने दिल्ली में इस सर्दी के मौसम में 56 दिन में 474 बेघर व्यक्तियों की मौत का स्वतः संज्ञान लिया - NHRC ON HOMELESS PEOPLE DEATH

https://www.etvbharat.com/hi/!state/nhrc-takes-suo-motu-cognizance-of-death-of-474-homeless-persons-in-56-days-this-winter-in-delhi-delhi-news-dls25013007389

आयोग ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और दिल्ली पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के अंदर मांगा है जवाब

By ETV Bharat Delhi Team Published : Jan 30, 2025, 10:46 PM IST

नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ने दिल्ली में इस सर्दी के मौसम में 56 दिनों के भीतर 474 बेघर व्यक्तियों की कथित मौत का स्वतः संज्ञान लिया है. दिल्ली में लगभग 80 प्रतिशत अज्ञात शव बेघर व्यक्तियों के हैं, जिनकी ठंड की वजह से मौत हुई है.

मुख्य सचिव और दिल्ली पुलिस आयुक्त को नोटिस: आयोग द्वारा गर्म कपड़े, कंबल और पर्याप्त आश्रय जैसे आवश्यक सुरक्षात्मक उपायों की उपलब्धता की कमी को इसका कारण बताया गया. आयोग ने मुख्य सचिव और दिल्ली पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. एनएचआरसी ने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें बेघर लोगों के साथ काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट (सीएचडी) के अनुसार पिछले 56 दिनों के दौरान लगभग 474 लोगों की जान चली गई है.

15 दिसंबर, 2024 से 10 जनवरी, 2025 के बीच मौतें: सीएचडी की रिपोर्ट के अनुसार कथित तौर पर ये मौतें 15 दिसंबर, 2024 से 10 जनवरी, 2025 के बीच गर्म कपड़े, कंबल और पर्याप्त आश्रय जैसे आवश्यक सुरक्षात्मक उपायों की अनुपलब्धता के कारण हुई हैं. एनजीओ के कथित दावे के अनुसार दिल्ली में लगभग 80 प्रतिशत अज्ञात शव बेघर व्यक्तियों के माने जाते हैं. आयोग ने पाया है कि यदि समाचार रिपोर्ट की सामग्री सही है तो यह मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को दर्शाती है. इसलिए इसने मुख्य सचिव और दिल्ली के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.

बेसहारा लोग कड़ाके की ठंड में रहने को मजबूर: 16 जनवरी 2025 को प्रसारित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में कई आश्रय स्थल मांग को पूरा करने में असमर्थ हैं और जो उपलब्ध हैं, उनमें अक्सर हीटिंग और गर्म पानी जैसी आवश्यक सुविधाओं का अभाव होता है, जिससे व्यक्ति कड़ाके की ठंड में रहने को मजबूर हो जाते हैं. सड़कों पर रहने वाले लोगों के कुछ विशिष्ट उदाहरणों का हवाला देते हुए मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वे श्वसन संक्रमण, त्वचा संबंधी बीमारियों और बिगड़ते मानसिक स्वास्थ्य सहित कई स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहे हैं.

Nagaland : सिद्धारमैया ने दोषसिद्धि दर में गिरावट पर चिंता व्यक्त की

https://jantaserishta.com/local/nagaland/nagaland-siddaramaiah-expresses-concern-over-falling-conviction-rate-3803813

SANTOSI TANDI 30 Jan 2025 9:55 AM GMT

Nagaland नागालैंड : कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को राज्य में एससी/एसटी अत्याचार के मामलों में दोषसिद्धि दर में गिरावट पर चिंता व्यक्त की, जो 2020 में दस प्रतिशत से घटकर 2024 में सात प्रतिशत हो गई है।विधानसभा में राज्य सतर्कता और निगरानी समिति की बैठक के दौरान, सीएम ने अत्याचार के मामलों में पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने पर जोर दिया।सिद्धारमैया ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, “(एससी/एसटी अत्याचार के मामलों में) दोषसिद्धि दर 2020 में 10 प्रतिशत थी, जो अब घटकर सात प्रतिशत रह गई है। इसलिए,मैंने बैठक में कहा है कि यह 10 प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए।” उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों को अभियोजन पक्ष के वकीलों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जिलों के उपायुक्तों को हर तीन महीने में एक बार बैठक अवश्य करनी चाहिए।

सिद्धारमैया ने कहा, “मैंने डीसी से गलती करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने को भी कहा है।” बैठक में मंत्रियों, विधायकों और सांसदों ने लंबित मामलों का मुद्दा उठायासिद्धारमैया ने कहा, "मैं और मुख्य सचिव लंबित मामलों और रिक्त पदों को भरने के बारे में बैठक कर रहे हैं। हमने पदोन्नति में आरक्षण पर भी बैठक में चर्चा की।" बाद में, मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि बैठक में सरकारी अभियोजकों से कहा गया कि पीड़ितों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए उन्हें अत्याचार के मामलों में प्रभावी ढंग से बहस करनी चाहिए। आरोपियों को आसानी से जमानत मिलने से रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। दोषियों को सख्त सजा सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है। नोट में कहा गया है कि अत्याचार के मामलों में आरोप पत्र 60 दिनों की निर्धारित समय सीमा के भीतर दायर किए जाने चाहिए। राज्य में देवदासी प्रथा पर भी चर्चा हुई। बयान में कहा गया है, "यदि किसी जिले में देवदासी प्रथा है, तो इसकी जिम्मेदारी जिला आयुक्त और पुलिस अधीक्षक की है। जिला प्रशासन को देवदासियों के पुनर्वास और आगे के मामलों को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए।" राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग **(एनएचआरसी)** के अनुसार, देवदासी प्रथा को महिलाओं के साथ यौन शोषण और वेश्यावृत्ति के लिए किया जाने वाला अपराध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे महिलाओं के जीवन, सम्मान और समानता के अधिकार के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा माना है।

सीएमओ की विज्ञप्ति में कहा गया है कि वन अधिकार समितियों को नियमित बैठकें करनी चाहिए और पात्र लाभार्थियों (वनवासियों) को भूमि अधिकार पत्र जारी करने में तेजी लानी चाहिए। इसमें कहा गया है कि लंबित 3,430 मामलों में से प्रक्रिया एक महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए।सीएमओ ने कहा, "भूमि अधिकार पत्र जारी होने के बाद, लाभार्थियों के नाम बिना किसी देरी के भूमि रिकॉर्ड में अपडेट किए जाने चाहिए। राजस्व विभाग के अधिकारियों को इस काम को प्राथमिकता देनी चाहिए और किसी भी परिस्थिति

में वनवासियों को बेदखल नहीं किया जाना चाहिए।"सीएम ने अधिकारियों से कहा कि एससी/एसटी अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में अदालती निषेधाज्ञा हटाने के लिए कदम उठाएं।

“आरोप पत्र 60 दिनों के भीतर दायर किए जाने चाहिए। वर्तमान में, 665 मामले जांच के लिए लंबित हैं और इनका शीघ्र समाधान किया जाना चाहिए। बयान में कहा गया है कि अदालतों में कम सजा दर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम के हवाले से बयान में कहा गया है, "कई दशकों से जातिगत अत्याचार के मामलों में सजा दर तीन प्रतिशत से अधिक नहीं रही है। इस कारण से, मैंने नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय (डीसीआरई) प्रकोष्ठों को पुलिस स्टेशन की शक्ति दी है। आखिर सजा दर में अभी तक वृद्धि क्यों नहीं हुई?" बयान में कहा गया है कि सिद्धारमैया ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि यदि यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) के मामले अदालतों में लंबे समय से लंबित हैं, तो अभियोजन पक्ष से चर्चा करें और त्वरित निपटान और त्वरित न्याय के लिए कदम उठाएं।

कल से जेल में भूख हड़ताल करेंगे सांसद इंजीनियर राशिद, बजट सत्र को लेकर स्पीकर को लिखा पत्र

https://www.aajtak.in/india/jammu-kashmir/story/er-rashid-announces-hunger-strike-ahead-of-budget-session-from-friday-cites-denial-of-parliamentary-access-ntc-rpti-2155492-2025-01-30

इंजीनियर राशिद ने कहा कि लोकसभा सचिवालय से कई बार औपचारिक निमंत्रण मिलने के बावजूद उन्हें कभी भी संसद में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई. उन्होंने कहा, "क्या यह अजीब नहीं है और लोकतंत्र का मजाक उड़ाने जैसा नहीं है कि मुझे सदन में भाग लेने का निमंत्रण दिया जाए और फिर मुझे जाने की अनुमति न दी जाए?"

सुनील जी भट्टश्रीनगर,30 जनवरी 2025,(अपडेटेड 30 जनवरी 2025, 9:52 PM IST)

जेल में बंद जम्मू-कश्मीर के बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद ने शुक्रवार (31 जनवरी) से तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल करने का ऐलान किया है. उन्होंने संसद में प्रवेश न मिलने का हवाला दिया है. लोकसभा अध्यक्ष को लिखे एक कड़े शब्दों वाले पत्र में राशिद ने अपनी शिकायतों का ब्यौरा दिया और और कश्मीर के चार जिलों और 18 विधानसभा क्षेत्रों की प्रतिनिधित्व की उपेक्षा को रेखांकित किया.

इंजीनियर राशिद ने कहा कि लोकसभा सचिवालय से कई बार औपचारिक निमंत्रण मिलने के बावजूद उन्हें कभी भी संसद में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई. उन्होंने कहा, "क्या यह अजीब नहीं है और लोकतंत्र का मजाक उड़ाने जैसा नहीं है कि मुझे सदन में भाग लेने का निमंत्रण दिया जाए और फिर मुझे जाने की अनुमति न दी जाए?

"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका वीजा मिलने से इनकार किए जाने पर उनके बयान को याद करते हुए राशिद ने कहा, "जब मोदी जी को अमेरिका में वीजा नहीं दिया गया था, तो क्या वह और उनकी सरकार मेरे साथ हो रही इस सबसे खराब स्थिति पर भी अपनी कही बातें याद नहीं करेंगे?"

लगाया ये आरोप

पत्र में उन्होंने उन कानूनों के असंगत और पक्षपाती उपयोग का आरोप लगाया, खास तौर पर 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के दौरान गिरफ्तार किए गए राजनीतिक नेताओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार का हवाला देते दिया. उन्होंने बताया कि जब अन्य प्रमुख नेताओं को गेस्ट हाउस में हिरासत में लिया गया और बाद में बिना किसी आरोप के रिहा कर दिया गया, तो वह तिहाड़ जेल में बंद हैं, जिसे उन्होंने "मेरी आवाज को दबाने के लिए यूएपीए का एक क्रूर तरीका" बताया.

इंजीनियर राशिद, जो चुनावों में जेल में रहते हुए संसद के लिए चुने गए थे, ने कहा, "लोगों की अदालत ने मुझे 4 जून, 2024 को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया था, लेकिन आज भी मुझे अपनी आवाज़ उठाने का मौका नहीं मिल रहा है.

"पार्टी भी करेगी प्रदर्शन

इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए, अवामी इत्तेहाद पार्टी के मुख्य प्रवक्ता इनाम उन नबी ने इंजीनियर राशिद की निरंतर कैद की आलोचना करते हुए इसे लोकतांत्रिक सिद्धांतों का अपमान बताया. उन्होंने कहा, "निर्वाचित प्रतिनिधि को संसद तक पहुंच से वंचित करना न केवल इंजीनियर राशिद बल्कि बारामूला की पूरी आबादी के साथ घोर अन्याय है. सरकार को लोगों के जनादेश का सम्मान करना चाहिए और राशिद साहब को आगामी बजट सत्र में भाग लेने की अनुमति देनी चाहिए.

पत्र की प्रतियां भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) और एर राशिद के कानूनी सलाहकारों, अधिवक्ता विख्यात ओबेरॉय और जावेद हुब्बी को भी भेजी गई हैं. राशिद ने इन संस्थानों से लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने और निर्वाचित प्रतिनिधियों के अधिकारों की रक्षा करने का आह्वान किया है.

एआईपी अध्यक्ष और बारामूला के सांसद राशिद के साथ एकजुटता दिखाते हुए, अवामी इत्तिहाद पार्टी (एआईपी) ने श्रीनगर, जम्मू और दिल्ली में एक साथ भूख हड़ताल की घोषणा की है. पार्टी के सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि इन विरोध प्रदर्शनों का उद्देश्य अपने नेता के साथ हो रहे अन्याय की ओर राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करना और बारामूला के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को उजागर करना है.

इंजीनियर राशिद की शिकायतों का समाधान करने के लिए सरकार से अपील की गई है. यह घोषणा कश्मीर के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ की ओर इशारा करती है और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व और न्यायिक निष्पक्षता के बारे में महत्वपूर्ण सवाल खड़े करती है.